दिनांक–24.02.2025 को ईखायुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2024–25 में विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु VC (Hybrid Mode) के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति– श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, संयुक्त निदेशक, ईख विकास/श्री जय प्रकाश नारायण सिंह, संयुक्त ईखायुक्त/डा0 आशुतोष मल्ल, प्रभारी पदाधिकारी–सह–वरीय वैज्ञानिक, IISR, लखनऊ क्षेत्रीय केन्द्र मातीपुर/डा0 नवनीत कुमार, वरीय वैज्ञानिक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा/श्री वेदव्रत कुमार, सहायक ईखायुक्त, मुख्यालय/सभी उप एवं सहायक निदेशक, ईख विकास/सभी ईख पदाधिकारी/महाप्रबंधक, सभी चीनी मिल।

कार्यवाही–

1. सरकार द्वारा गन्ना कृषकों को दिये जा रहे गन्ना क्रय में अतिरिक्त 10 रू०/क्विंटल गन्ना मूल्य का भुगतान–

सभी ईख पदाधिकारी से 10 रू0/क्वींटल की दर से गन्ना मूल्य के भुगतान के प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा में श्री रेमन्त झा, ईख पदाधिकारी, बेतिया अंचल बेतिया एवं श्रीराम सिंह, ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल बेतिया द्वारा बताया गया कि बैंक खाता खोलने से संबंधित प्रक्रिया की गई, संभवतः आज बैंक खाता उपलब्ध करा दिया जाएगा। बैंक अधिकारी द्वारा बताया गया कि राशि के भुगतान हेतु SBI बैंक के लाभान्वितों की सूची अलग एवं शेष सभी बैंकों का अलग सूची तैयार कराया जाय। श्री राहुल कुमार, ईख पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा बताया गया कि उन्हें भी आज बैंक खाता संख्या प्राप्त हो जाएगा। उनके द्वारा बैंक के सलाह पर डी0बी0टी0 के तरह खाता खोला गया है, जिसमें बैंकवार अलग–अलग सूची तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी। श्री कुमार कानन, ईख पदाधिकारी, सिवान द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा सेन्ट्रल बैंक में खाता खुलवाने की कार्रवाई की जा रही है। श्री पुष्कर राज, ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा भी बताया गया कि तत्काल कोई समस्या नहीं है, भुगतान हेतु कार्रवाई की जा रही है।

सभी चीनी मिलों के महाप्रबंधकों एवं संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि बैंक द्वारा किए गए मांग के अनुरूप सूची उपलब्ध करायी जाय एवं ससमय भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

2. मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम –

बैठक में उपस्थित सभी चीनी मिल एवं विभागीय पदाधिकारियों को इस योजनांतर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य में अंतरपरिवर्तन के फलस्वरूप निर्गत संशोधित आदेश ज्ञापांक–522 स्वी0/सी0सी0 दिनांक–24.02.2025 से अवगत कराया गया तथा इस अनुरूप सभी मदों में लक्ष्य की प्राप्ति करने का निदेश दिया गया।

3. गन्ना यंत्रिकरण योजना –

बैठक में उपस्थित सभी चीनी मिल एवं विभागीय पदाधिकारियों को इस योजनांतर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य में अंतरपरिवर्तन के फलस्वरूप निर्गत संशोधित आदेश ज्ञापांक–523 स्वी0/सी0सी0 दिनांक–24.02.2025 से अवगत कराया गया तथा इस अनुरूप सभी मदों में लक्ष्य की प्राप्ति करने का निदेश दिया गया।

समीक्षा के क्रम में चीनी मिल के प्रतिनिधियों द्वारा कहा गया कि इस योजनांतर्गत गन्ना यंत्र बैंक की स्थापना हेतु समूह–1, 2 एवं 3 में कतिपय यंत्र में से गुणवत्ता सत्यापित यंत्र की उपलब्धता बाजार में नहीं हो पा रही है।

बैठक में उपस्थित डा0 नवनीत कुमार, वरीय वैज्ञानिक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा से मंतव्य प्राप्त किया गया, जिसपर उनके द्वारा कहा गया कि अगर बाजार में समूह हेतु सभी यंत्रों की उपलब्धता नहीं हो पा रही है तो जितना यंत्र अनुदेश के अनुरूप संबंधित द्वारा क्रय किया जाय उसपर समानुपातिक रूप से अनुदान का भुगतान किया जा सकता है। इसपर सभी के द्वारा सहमति दिया गया।

चीनी मिल के प्रतिनिधियों द्वारा यह भी कहा गया कि गुणवत्ता सत्यापित Manual यंत्रों की उपलब्धता बाजार में नहीं हो पा रही है। इस संबंध में भी वरीय वैज्ञानिक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा से मंतव्य प्राप्त किया गया, उनके द्वारा कहा गया कि Manual यंत्रों को चीनी मिल के महाप्रबंधक एवं सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा Manual यंत्रों को अपने स्तर से संयुक्त रूप से certify किया जाएगा, जो मान्य होगा।

बैठक में निदेश दिया गया कि विभाग द्वारा पहली बार गन्ना यंत्रिकरण योजना का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। अनुदानित दर पर वितरित मैन्युअल यंत्रों पर embossing अथवा पेंटर से ***" गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा गन्ना यंत्रिकरण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान प्रदत्त, किसान का नाम–..............................., ग्राम– ...., अनुदान राशि– .... रू0 "*** लिखवाना सुनिश्चित किया जायेगा। इसपर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति आकस्मिकता मद में प्राप्त राशि से की जाएगी।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01 / विकास–यो0–228 / 2024– 285/ई०का० पटना, दिनांक– 27. फरवरी, 2025

प्रतिलिपि– निदेशक, IISR, लखनऊ / निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा / संयुक्त निदेशक, ईख विकास / सभी उप एवं सहायक निदेशक, ईख विकास / सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी, IISR, लखनऊ क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर / महाप्रबंधक, सभी कार्यरत चीनी मिल / सचिव, बिस्मा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01 / विकास–यो0–228 / 2024– 285/ई०का० पटना, दिनांक– 27. फरवरी, 2025

प्रतिलिपि– सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।